संख्या- 13/2017/1104/अडतीस-7-2017-391नरेगा/2012

प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 03 अगस्त, 2017**

विषय- मनरेगा, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज के मध्य कनवर्जेन्स के माध्यम से निर्मित कराये जा रहे आंगनबाडी केन्द्रों को त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्राम्य विकास विभाग(मनरेगा), आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज के मध्य कनवर्जेन्स के माध्यम से ग्राम पंचायतों में आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में उक्त तीनों विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर से, संयुक्त रूप से निर्गत शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 द्वारा आंगनबाडी केन्द्र निर्माण के लिए जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। इन आंगनबाडी केन्द्रों को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश नियमित रूप से दिये जा रहे हैं।

मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग दिनांक 14-06-2017 में मा0 मंत्री जी द्वारा जनपदों को निर्देशित किया गया था कि दिनांक 15 अगस्त, 2017 से पूर्व अधिक से अधिक आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करते हुए 15 अगस्त, 2017 को झण्डारोहण कार्यक्रम नवनिर्मित आंगनबाडी केन्द्र में ही कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये हैं कि निर्मित आंगनबाडी केन्द्र भवन पर यह लेख लिखा जाय कि भवन का निर्माण .....वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मनरेगा, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज के मध्य कनवर्जेन्स के माध्यम से निर्मित कराये जा रहे अधिक से अधिक आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण 15 अगस्त, 2017 से पूर्व पूर्ण कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि आंगनबाडी केन्द्रों से आच्छादित होने वाले परिवारों को इन केन्द्रों का लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीय,

(सहदेव)
विशेष सचिव

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 13/2017/ 1104(1)/अइतीस-7-2017 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।